बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–FC/04/2021- 1207

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, पिन–834002

पटना 14, दिनांक– 24/09/2025

विषय– श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत भदास मौजा के खाता संख्या–1008, खेसरा संख्या–3586, थाना अलौली में चातर चौक–संतोष ब्रिज पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Others/117859/2020(pt.)/1470, दिनांक 04.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Others/117859/2020(pt.)/1470, दिनांक 04.10.2023 द्वारा पृच्छा की गई थी, जिसका का निराकरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
I.	प्रासंगिक अधिनियमों के उल्लंघन के विरूद्ध की गई अब तक की न्यायिक कारवाई का पूर्ण विवरण।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक– 911 दिनांक– 16.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रासंगिक अधिनियमों के आलोक में संबंधित वन रक्षी द्वारा वाद दर्ज किया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के संलग्न भेजी जा रही है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1666, दिनांक 02.09.2025 के साथ संलग्न वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 35, दिनांक 10.01. 2024 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा किये गये उल्लंघन के विरूद्ध मुख्य न्यायाल दण्डाधिकारी, खगड़िया, न्यायालय को अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
II.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के दोषी प्राधिकारियों पर इसकी धारा 3A एवं 3B अनुसार कारवाई हेतु अनुशंषा प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक– 911 दिनांक– 16.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित मामले में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से किया गया है, जिस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी पर वाद दर्ज किया गया है एवं इस प्रकार यह किसी सरकारी विभाग/प्राधिकरण द्वारा धारा 3A एवं 3B के उल्लंघन का मामला प्रतित नहीं होता है।

अतएव अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

24/09/25

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

ज्ञापांक– FC/04/2021- 1207 दिनांक 24/09/2025
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/04/2021- 1207 दिनांक 24/09/2025
प्रतिलिपि : श्री राजेश कुमार, पिता–श्री प्रमोद सिंह, ग्राम+पो० RK चातर, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया, पिन–851204 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

 Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

प्रथम तल, नगरपालिका मार्केट, नगर निगम कार्यालय के सामने, बेगूसराय – 851101, Mob :- 9650389387 (Email : dfobegusarai@gmail.com & divfobegusarai-bih@gov.in)

पत्रांक–1666..., बेगूसराय, दिनांक–02.09.2025

प्रेषक,

श्री अभिषेक कुमार सिंह, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

1462
09/09/2025

विषय :– श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिला अन्तर्गत भदास मौजा के खाता सं0–1008, खेसरा सं0–3586, थाना–अलौली चातर चौक संतोषजनक ब्रिज पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट के स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतू वन (संरक्षण) अधिनियम,1990 के तहत 0.024 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक–FC/04/2021-774 दिनांक–24.06.2025

महाशय,

उपर्यूक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये उल्लंघन के विरुद्ध मुख्य न्यायालय दण्डाधिकारी, खगड़िया, न्यायालय में इस कार्यालय का पत्रांक– 35, दिनांक– 10.01.2024 द्वारा दर्ज अभियोजन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतू भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

C:\Users\WIN-11\Downloads\bhadash.doc

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय
कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय
बेगूसराय – 851101, Mob.- 6210505454

पत्रांक– 35, बेगूसराय, दिनांक– 10/1/24

प्रेषक,

रविन्द्र कुमार रवि,बि0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

विषय :– अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:– वन क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया का पत्रांक–149, दिनांक–14.07.2023

OC

महाशय,

उपर्यूक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये उल्लंघन के क्रम में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा वन अधिनियम, 1927 के तहत् की गई कार्रवाई का विस्तृत अपराध प्रतिवेदन सं0–PR No-01P/2023-24 समपर्ति किया गया है। जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतू भेजी जा रही है।

अनुलग्क–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय
प्रथम तल, नगरपालिका मार्केट, नगर निगम कार्यालय के सामने, बेगूसराय – 851101
Tele/Fax- 06243-222602, Mob :- 9650389387 (Email : dfobegusarai@gmail.com)

पत्रांक– 911 बेगूसराय, दिनांक– 16.05.2025

693
30/05/2025

प्रेषक,
श्री अभिषेक कुमार सिंह, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषय :– श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिला अंतर्गत भदास मौजा के खाता सं0–1008, खेसरा–सं0–3586, थाना–अलौली चातर चौक संतोषपुर ब्रिज पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट के स्थापित करने के कम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 के तहत 0.024 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध मे।

प्रसंग:– भवदीय का पत्रांक–FC/04/2021-761, दिनांक–26.10.2023

महाशय,

उपर्यूक्त विषयक प्रासंगिक के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय रॉंची के पत्रांक–FP/BR/Others/17859/2020(pt.)/1470, दिनांक–04.10.2023 द्वारा की गयी पृच्छाओं का निराकरण कंडिकावार निम्नवत् है–

कम सं0	पृच्छा	निराकरण
1	प्रासंगिक अधिनियमों के विरूद्ध की गई अब तक की न्यायिक कारवाई का पूर्ण विवरण।	प्रासंगिक अधिनियमों के आलोक में संबंधित वनरक्षी द्वारा Offence दर्ज किया गया जिसकी पूर्ण छाया प्रति संलग्न।
2	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उलंघन के दोषी प्राधिकारियों पर इसकी धारा 3A एवं 3B अनुसार कारवाई हेतू अनुशंषा प्रतिवेदन।	विषयांकित मामले में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रयोक्ता ऐजेंसी के स्तर से किया गया है। जिस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी पर Offence दर्ज किया गया है, एवं इस प्रकार यहां किसी सरकारी विभाग/प्राधिकरण द्वारा धारा 3A एवं 3B के उल्लंघन का मामला प्रतित नहीं होता है।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

जंगल विभाग, बिहार

1302

डिवीजन

नोटः- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के २४ घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

जुर्म नम्बर

तारीख 31/05/2023

१. घटना स्थान - चातर एवं संतोष पुल के बीच रोड के किनारे

२. पकड़ने का समय और तारीख 07:10 AM पर दिनांक 31/05/2023

३. नाम अपराधी और उसके पिता का नाम - राजेश कु० सिंह पिता - प्रमोद सिंह

और पता- ग्राम - चातर, थाना - अलौली

४. जप्ती माल, अगर कोई

५. जप्ती माल का जिम्मेवार

६. नाम गवाह और उसके पिता का नाम - धर्मेन्द्र पासवान, पिता - स्व० रामनंदन पासवान

और पता- ग्राम - परमानन्द पुर, पोस्ट - कोशी कॉलेज थाना - चित्रगुप्तनगर जिला - खगड़िया

राम कुमार सिंह 01-06-2023 वनपाल

७. तफसील और बयान जुर्म-

सेवा में
श्रीमान वन परिसर पदाधिकारी
खगड़िया

विषय - खगड़िया से अलौली पथ के किनारे अवैध मिट्टी भराई के संबंध में।

महाशय
उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सादर सूचित ... कि ... दिनांक 31/05/23 को प्रात: भ्रमण के

<u>बयान</u>

मैं राजेश कुमार पिता - प्रमोद सिंह ग्राम पो० - चावर, थाना - अलौली, जिला खगड़िया का निवासी हूँ मेरे नाम से हिन्दुस्तान पैट्रोलि पम्प का लाइसेंस मिला है मेरे द्वारा भूल बस रोड किनारे आंशिक रूप से मिट्टी का कार्य किया गया। मुझे जानकारी नहीं रहने के कारण हुआ है मैं आज से इस तरह का भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूंगा श्रीमान से निवेदन है कि मुझे क्षमा करने का कृपा करें।

पार्टी के द्वारा बनाया
गया बयान
राम कुमार सिंह
06-06-2023
अ० पाल
खगड़िया

राजेश कुमार
पिता - प्रमोद सिंह
ग्राम+पो० - चावर
थाना - अलौली
जिला - खगड़िया
मो० - 9102985013

मे पाया गया कि चातर एवं संतोष पुल के बीच (खगड़िया अलौली पथ) के किनारे अवैध तरीके से मिट्टी भराई कार्य किया गया है आस-पास के ग्रामीणों से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि यह मिट्टी भराई कार्य राजेश कु० सिंह, पिता-प्रमोद सिंह, ग्राम--चातर, थाना-अलौली द्वारा पेट्रोल पम्प खोलने हेतू किया गया है। यह पथ संरक्षित क्षेत्र है।

अत: श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

विश्वासभाजन

Vikas kumar (f.g.)
31.05.2023
Alauli.

वन पथ अभियोजन - 2500 sq feet.
का मिट्टी भराई

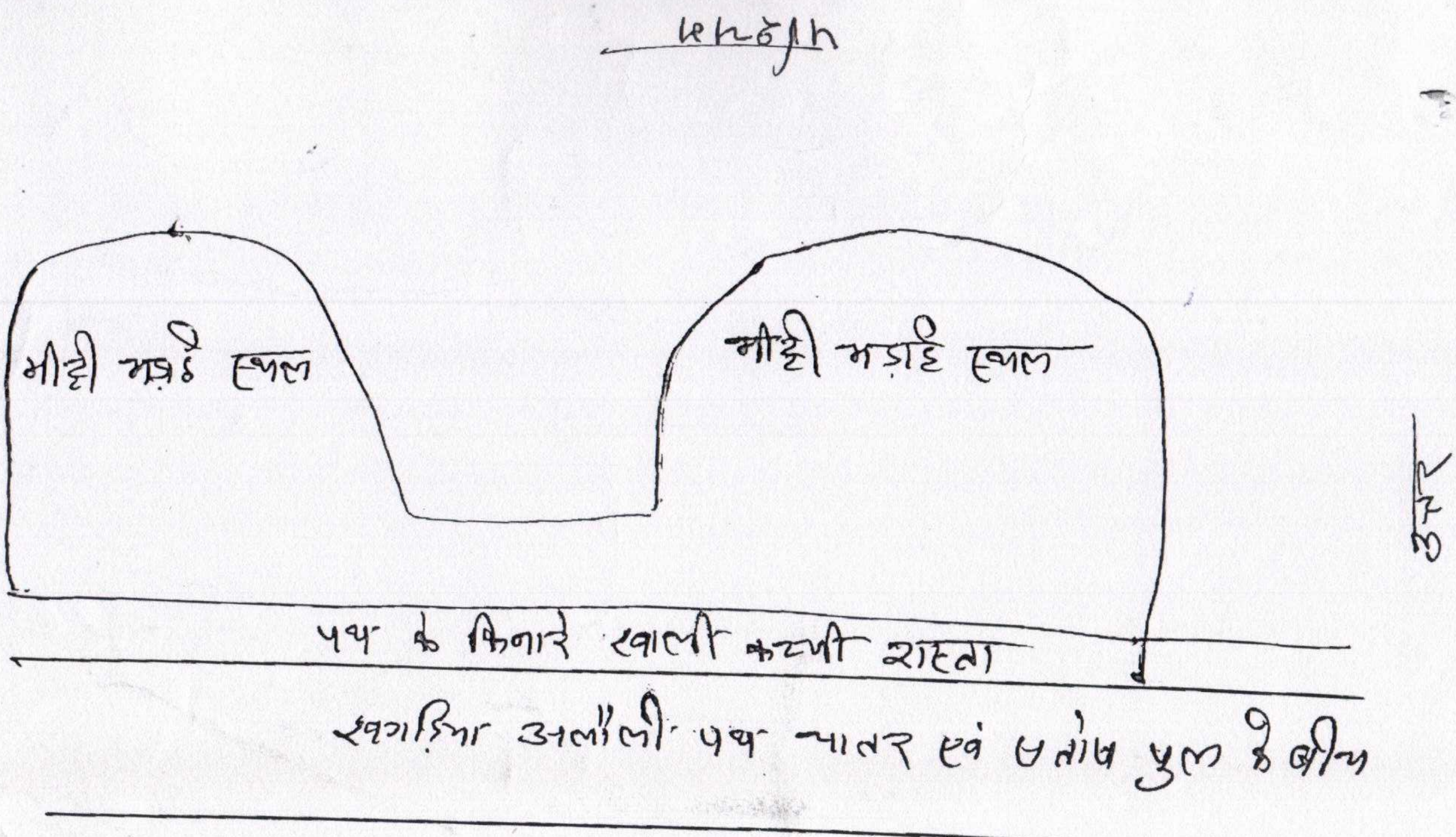

राजकुमार सिंह

पूरब

१० पाल

खगड़िया